UPJL010013102026

Presented on : 07-03-2026
Registered on : 07-03-2026
Decided on : 16-03-2026
Duration : 0 years, 0 months, 9 days

IN THE COURT OF
Spl. Judge D.A.A
AT ,Jalaun
(Presided Over by Dr. Avanish Kumar-II)

Criminal Misc. Cases/3000041/2026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.), जालौन स्थान उरई।
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं–41/2026

पूजा देवी, पत्नी हरिओम, निवासी ऐंको, थाना कुठौंद, जिला जालौन। .....आवेदिका

बनाम

1. दीपक, पुत्र सीताशरण,
2. शिवांगी देवी, पत्नी सीताशरण,
3. ज्ञानचन्द्र, पुत्र अम्बिका तिवारी,
4. मीरा देवी, पत्नी ज्ञानचन्द्र,
5. मोहित तिवारी, पुत्र ज्ञानचन्द्र,
6. सीताशरण, पुत्र अम्बिका प्रसाद,

निवासीगण ग्राम ऐंको, थाना कुठौंद, जिला जालौन। .....विपक्षीगण

दिनांक–16.03.2026

पत्रावली पेश हुई। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. पर सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदिका पूजा देवी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. में यह कथन किया है कि दिनांक 23.02.2026 को समय करीब 6 बजे शाम प्रार्थिनी घर में थी तथा खाना बनाने का काम कर रही थी, तभी गांव के दीपक, पुत्र सीताशरण, शिवांगी देवी, पत्नी सीताशरण, ज्ञानचन्द्र, पुत्र अम्बिका तिवारी, मीरा देवी पत्नी, ज्ञानचन्द्र, मोहित तिवारी, पुत्र ज्ञानचन्द्र, सीताशरण, पुत्र अम्बिका प्रसाद, निवासीगण ग्राम ऐंको प्रार्थी के घर में दरवाजे से घुस आये दीपक अपने हाथ में तमन्चा लिये था और अन्य लोग लाठी डण्डा लिये थे। सीताशरण कहने लगे कि आज साली अकेली मिल गई है, इसे जान से मार दो, तो सभी लोगों ने लाठी डण्डा, लात घूसों, थप्पड़ो से मारापीटा तथा घर का सामान तोड़ फोड़ दिया। दीपक कह रहा था कि अगर चिल्लाई तो जान से मार देंगे। दीपक ने प्रार्थिनी के गले में डला मंगलसूत्र सोने का वजनी करीब डेढ ग्राम लूट लिया। प्रार्थिनी चिल्लाई तो राजेश यादव, विजय ठाकुर आदि लोग आ गए, जिनके ललकारने पर वे लोग अगर कोई कार्यवाही की तो जान से मार देंगे की धमकी देते हुए भाग गए। प्रार्थिनी ने पति को सूचना दी तो वह खेत से घर आये और पति के साथ थाना कुठौंद गयी, तो प्रार्थिनी

Digitally signed by AVANISH KUMAR
Date: 2026.03.16 14:56:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, तब प्रार्थिनी ने दिनांक 24.02.2026 को सदर अस्पताल उरई में अपने शरीर पर आयी चोटों का डाक्टरी परीक्षण कराया। प्रार्थिनी थाना कुठौंद गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थिनी ने दिनांक 25.02.2026 को पुलिस अधीक्षक, को जरिये डाक रजिस्ट्री प्रार्थनापत्र भेजा, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज करने हेतु थाना कुठौंद, जिला जालौन को आदेशित करने की कृपा करें।

अभिलेखीय साक्ष्य में स्वयं के आधारकार्ड की छायाप्रति, जिला पुरूष चिकित्सालय, उरई के आकस्मिक विभाग के पर्चे की छायाप्रति, चोट प्रपत्र की मूलप्रति, पुलिस अधीक्षक, जालौन स्थान उरई को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति व मूल रजिस्ट्री रसीद प्रस्तुत की है।

प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाना कुठौंद, जिला जालौन द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार आवेदिका पूजा देवी के पति हरिओम, पुत्र रामबिहारी आदि के विरूद्ध विपक्षी शिवांगी, पत्नी सीताशरण, निवासी ग्राम ऐंको, थाना कुठौंद, जनपद जालौन द्वारा अपराध सं. 379/2016 धारा 452, 504, 436, 506 आई.पी.सी. बनाम हरिओम आदि चार नफर के विरूद्ध दिनांक 15.12.2016 को पंजीकृत कराया गया था। आवेदिका के परिवारीजन विपक्षी सीताशरण, पुत्र अंबिका प्रसाद तिवारी व ज्ञानी उर्फ ज्ञानचन्द्र, मोहित, पुत्र ज्ञानी, शिवांगी, पत्नी सीताशरण आदि के विरूद्ध मुकदमा उपरोक्त में समझौते का दबाव बनाने के लिए माननीय न्यायालय में पूर्व में भी क्रि.मि.नं. 139/2016 प्रार्थनापत्र दिया था तथा वर्तमान में प्रकीर्ण वाद सं. 02/2025 विपक्षी आवेदिका मीरा देवी, पत्नी ज्ञानचन्द्र, ग्राम ऐंको द्वारा आवेदिका व परिवारीजन के विरूद्ध दिया था, इसी की द्वेष भावना से आवेदिका द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. दाखिल किया गया। थाना अभिलेखों के अनुसार इस प्रार्थनापत्र के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित सभी तथ्य प्रार्थिनी के स्वयं के संज्ञान में हैं, जिन्हें वह अपने साक्ष्य के माध्यम से स्वतः सिद्ध करने में सक्षम है। अतः प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों व परिस्थितियों के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त विधि व्यवस्था प्रियंका श्रीवास्तव प्रति उ.प्र. राज्य, ए.आई.आर. 2015, सुप्रीम कोर्ट 1758 एवं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा प्रदत्त विधि व्यवस्था रामबाबू गुप्ता बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य, 2001(43) ए.सी.सी. 201 तथा निर्णयज विधि सुखवासी बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य, 2007(59) ए.सी.सी.739 में प्रदत्त विधि के प्रकाश में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी पूजा देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस., परिवाद के रूप में पंजीकृत हो। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 30.03.2026 को पेश हो।

दिनांक–16.03.2026

(डॉ. अवनीश कुमार–।।)
विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.),
जालौन स्थान उरई।